निर्वाचन/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या : 2121 /33–3–2015–96/2015टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 11 अगस्त, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायंत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि संविधान के अनुच्छेद 243–घ तथा तत्क्रम में संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–11क तथा धारा–12(5) और उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–6क, 7क, 18क व 19क में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन हेतु, दो नियमावलियां–उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (यथा संशोधित) एवम् उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 प्रख्यापित है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश सं0–1953/33–1–2005–71/2000, दिनांक 09 जुलाई, 2010 में त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों (चेयरपरसन) एवम् स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण एवम् आवंटन के संबंध में प्राविधानित व्यवस्था निम्नलिखित संशोधनों के साथ पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 मे प्रभावी रहेगीः–

1. प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या– 59,163, क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या–821 तथा जिला पंचायतों की संख्या–75 है।

2. अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचति जातियों के लिए प्रदेश में आरक्षित किये जाने वाले कुल पदों की संगणना में जनगणना वर्ष 2011 में प्रकाशित प्रदेश की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आंकडें प्रयोग में लाये जायेंगें। जनपदवार तथा विकास खण्डवार आरक्षित किये जाने वाले पदों की संगणना

एवं उनका आंवटन और प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संगणना तथा उनका आवंटन, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या के अवधारण हेतु कराये गये त्वरित सर्वेक्षण, 2015 और जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर प्रत्येक स्तर की पंचायत और उनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संगणित कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तथा पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकडों के आधार पर किया जायेगा।

3. जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 0.57 तथा 20.6982 है।

4. त्वरित सर्वेक्षण वर्ष 2015 के आधार पर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 है।

5. पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती निर्वाचनों का तात्पर्य साामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, वर्ष 2000, वर्ष 2005 तथा वर्ष 2010 होगा।

6. गत पंचायत सामान्य निर्वाचन 2010 के उपरान्त प्रथमबार गठित ग्राम पंचायतों में आरक्षित पदों के आवंटन में पूर्ववर्ती निर्वाचनों की प्रास्थिति (स्टेट्स) को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, अपितु पदों के आवंटन हेतु बनाये गये अनुपातिक जनसंख्या के अवरोही क्रम में उनकी (प्रथमबार गठित ग्राम पंचायतों की) प्रास्थिति (स्टेट्स) के आधार पर उनका नये सिरे से आरक्षण व आवंटन किया जायेगा।

7. उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में स्थानों और प्रधानों के पदों के आरक्षण का प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या एवम् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर जनसाधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगातार 3 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा। **कोई व्यक्ति जिसे उक्त किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो वह प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर प्रस्तावित आरक्षण के विरूद्ध आपत्ति विकास खण्ड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।** आपत्ति प्राप्त करने की अवधि की समाप्ति के अगले दिन समस्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर आगामी दो दिवस के अन्दर प्रत्येक आपत्ति का निरस्तारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा :-

1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपर्युक्तानुसार आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त आरक्षित स्थानों और पदों के आवंटन को जिलामजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रूप देते हुए आवंटित स्थानों और पदों की सूची को पुनः उपर्युक्त कार्यालयों के सूचना पट पर दो दिवसों तक प्रदर्शित किया जाएगा और आवंटित पदों और स्थानों का प्रारूप 1, 2, 3 तथा 4 पर विवरण की हार्ड कॉपी की दो प्रतियां एम0एस0 एक्सेल पर सीडी सहित निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को दिनांक **12–09–2015** तक उपलब्ध कराया जायेगा और उक्त विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण एवं आवंटन सम्बन्धित निर्गत उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 जुलाई, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न समयसारिणी के अनुसार उक्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या :2121 / 1 / 33–3–2015–96 / 2015 टी.सी तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, सूचना एवम् जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. पंचायतीराज अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायत सामान्य निर्वाचन–2015 हेतु शासनादेश संख्या– 2121 /33–3–2015–96/2015 टी0सी0 दिनांक 11.08.2015 का संलग्नक

क्र. सं.	कार्यवाही	निर्धारित तिथियाँ			
		ग्राम पंचायत	सदस्य ग्राम पंचायत	सदस्य क्षेत्र पंचायत	सदस्य जिला पंचायत
1.	निदेशालय द्वारा विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाना।	12.08.2015 से 19.08.2015	–	–	–
2.	निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा अपर मुख्य अधिकारियों का प्रशिक्षण	20.08.2015 से 21.08.2015	20.08.2015 से 21.08.2015	20.08.2015 से 21.08.2015	20.08.2015 से 21.08.2015
3.	जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण	22.08.2015 से 23.08.2015	22.08.2015 से 23.08.2015	22.08.2015 से 23.08.2015	22.08.2015 से 23.08.2015
4.	जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना	24.08.2015 से 30.08.2015	24.08.2015 से 30.08.2015	24.08.2015 से 30.08.2015	24.08.2015 से 30.08.2015
5.	शासनादेश संख्या– , दिनांक 11.08.2015 में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थलों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन	31.08.2015 से 02.09.2015	31.08.2015 से 02.09.2015	31.08.2015 से 02.09.2015	31.08.2015 से 02.09.2015
6.	प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना	31.08.2015 से 06.09.2015	31.08.2015 से 06.09.2015	31.08.2015 से 06.09.2015	31.08.2015 से 06.09.2015
7.	आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण।	07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015	07.09.2015
8.	आपत्तियों का जनपद स्तर पर शासनादेश दिनांक 08.2015 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण	08.09.2015 से 09.09.2015	08.09.2015 से 09.09.2015	08.09.2015 से 09.09.2015	08.09.2015 से 09.09.2015
9.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की अंतिम सूची का प्रकाशन	10.09.2015 से 11.09.2015	10.09.2015 से 11.09.2015	10.09.2015 से 11.09.2015	10.09.2015 से 11.09.2015
10.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायती राज निदेशालय को शासनादेश दिनांक 11.08.2015 में उल्लिखित रूपपत्र पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	12.09.2015	12.09.2015	12.09.2015	12.09.2015
	[illegible] को आरक्षण की प्रकिया	12.09.2015	12.09.2015	12.09.2015	12.09.2015